प्रेस नोट जनपद बदायूँ - दिनांक 26.05.2026

#OperationConviction

> *पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 के आदेश से संचालित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से दुष्कर्म करने वाले एक अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 1,25000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*

थाना मूसाझाग पर पंजीकृत मु0अ0सं0 96/2025 धारा 137(2)/87/61(2)/65(1)/96 बीएनएस व ¾(2),16/17 पोक्सो एक्ट बनाम मनोज उर्फ अनुज पुत्र सत्यपाल निवासी ग्राम गुलडिया थाना मूसाझाग,बदायूँ की विवेचना विवेचक उ0नि0 श्री मानबहादुर सिंह द्वारा पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय पोक्सो कोर्ट 02 बदायूँ में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार आरक्षी विकास वर्मा द्वारा माननीय न्यायालय में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 26.05.2026 को मा0 न्यायालय पोक्सो कोर्ट 02, बदायूँ द्वारा अभियुक्त मनोज उर्फ अनुज को धारा 137(2) बीएनएस के अन्तर्गत 07 वर्ष के कारावास का दण्ड व 10000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतेगा। अभियुक्त मनोज उर्फ अनुज को धारा 87 बीएनएस के अन्तर्गत 10 वर्ष के कारावास का दण्ड व 15000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतेगा। अभियुक्त मनोज उर्फ अनुज को धारा 65(1) बीएनएस व धारा ¾ पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत 20 वर्ष के कारावास का दण्ड व 50000-50000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।अर्थदण्ड अदा न करने पर 04 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतेगा। आरोपित अर्थदण्ड की पूर्ण धनराशि पीडिता को पतौर अदा की जायेगी। अभियुक्तगण सत्यपाल,मुन्नीदेवी व दीपक उर्फ मूटा को अन्तर्गत धारा 137(2)/96/ 61(2)/65(2)बीएनएस 16/17 पोक्सो अधिनियम के आरोप मे दोष मुक्त किया गया।पैरवी करने वाले पैरोकार आरक्षी विकास वर्मा एवं उप निरीक्षक श्री मानबहादुर सिंह तथा लोक अभियोजक श्री वीरेन्द्र सिंह का योगदान सराहनीय रहा।

सोशल मीडिया सेल

जनपद बदायूँ।